


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR


Endorsement No. C/2289 Jabalpur, dated 08.6.2016.
III-6-4/03

The copies of the Notifications of the Government of M.P. (i) F.No.17(E)83/03/21-B(1)/1851/16, Bhopal, dated 03.6.2016 and (ii) F.No.17(E)83/03/21-B(1)/1851/16, Bhopal, dated 03.6.2016 as per the provisions of Section 153(1) of the Electricity Act, 2003 and as per the provisions of Section 153(2) respectively are forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar (Inspection & Vigilance), Principal Registrar (Examination & ILR), Registrar (J-I, J-II, J-III, Administration, Vigilance, I.L.) and Director, SJA, High Court of M.P., Jabalpur,
4. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
5. The District and Sessions Judges (Gwalior and Sagar) for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
6. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
7. Server Room, Computer for uploading the same on the website.


(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

1136



मध्यप्रदेश शासन विधि और बिधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

जोषाल, दिनांक 3 जून, 2016

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1851/2016, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 एवं 80 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात् :-

सारणी

सं. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3, ग्वालियर.
80.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-10	श्री सुनील कुमार जैन (सीनि.) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-10, सागर."

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/1851/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

Signature
04.6.2016
Upthara 2, Page 36 of 36

Signature
04 JUN 2016
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JASALPUR
35B(C.E)

1/211

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial numbers 38 and 80 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior	Shri Sudeep Kumar Shrivastava, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior
80.	Sagar	Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar	Shri Sunil Kumar Jain (Sr.) Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1851/2016, भोपाल, दिनांक 03 जून, 2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/1674/III-6-4/03-IX, दिनांक 03.05.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.कणी) 31/6/16

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

1135



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 3 जून, 2016

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1851/016, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3	सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत क्षेत्र."

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/1851/016, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

04 JUN 2016
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
(S.D.C.D.E.)

11211

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court no.3, Gwalior	All electricity area of Civil District Gwalior ."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1851/015. भोपाल, दिनांक 03/06/2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/1674/III-6-4/03-IX, दि. 03.05.16 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रमारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग